समाहरणालय, बक्सर
(आपदा प्रबंधन शाखा)

(126

पत्रांक 1239 / आ0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

नजारत उपसमाहर्त्ता,बक्सर।
सभी अंचल अधिकारी,
बक्सर जिला।

बक्सर, दिनांक 04/10/2020

विषय : **CFMS द्वारा Head of Account-39-2245-02-112-0002-NA** के अंतर्गत जनसंख्या निष्क्रमण मद (कोविड–19) मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु अतिरिक्त राशि 16,11,800/– (सोलह लाख ग्यारह हजार आठ सौ) रूपया मात्र का उपावंटन।

प्रसंग : इस कार्यालय के पत्रांक– 685/आ0 दिनांक 17.06.2020, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का **Order No.-1719 Date 02-06-2020** एवं इस कार्यालय के पत्रांक– 766/आ0 दिनांक 02.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा CFMS Portal पर Head of Account-39-2245-02-112-0002-NA के अंतर्गत जनसंख्या निष्क्रमण मद (कोविड–19) मद में प्रासंगिक पत्रों द्वारा पूर्व में 9,03,88,200/– (नौ करोड़ तीन लाख अठासी हजार दो सौ) राशि आपको उपावंटित किया गया है। पुनः आपके अधियाचना के आलोक में 16,11,800/–(सोलह लाख ग्यारह हजार आठ सौ) रूपया मात्र निम्नवत आपको उपावंटित किया जाता है :–

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	जनसंख्या निष्क्रमण मद 2245-02-112-0002		कुल उपावंटित राशि
		पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	
1	2	3	4	5
1	नजारत उपसमाहर्त्ता, बक्सर	18400000.00	0.00	18400000.00
2	अंचल अधिकारी, बक्सर	8304215.00	0.00	8304215.00
3	अंचल अधिकारी, राजपुर	9711170.00	0.00	9711170.00
4	अंचल अधिकारी, इटाढ़ी	6658765.00	200000.00	6858765.00
5	अंचल अधिकारी, चौसा	5012096.00	200000.00	5212096.00
6	अंचल अधिकारी, डुमरॉव	7291226.00	200000.00	7491226.00
7	अंचल अधिकारी, नावानगर	9783074.00	200000.00	9983074.00
8	अंचल अधिकारी, सिमरी	6653669.00	211800.00	6865469.00
9	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	8626955.00	200000.00	8826955.00
10	अंचल अधिकारी, चक्की	5385405.00	0.00	5385405.00
11	अंचल अधिकारी, चौगाई	2064691.00	200000.00	2264691.00
12	अंचल अधिकारी, केसठ	2496934.00	200000.00	2696934.00
	कुल योग :–	**90388200.00**	**1611800.00**	**92000000.00**

कुल उपावंटित राशि 16,11,800/–(सोलह लाख ग्यारह हजार आठ सौ) रूपया मात्र की निकासी निम्न शर्तो के तहत की जायेगी :–

D:\Apda 2020\Sep 2020\Letter (A 4).doc

1. यह आवंटन कोविड –19 के अंतर्गत जनसंख्या निष्क्रमण मद (कोविड–19) मद हेतु वर्ष 2020–21 में होने वाले व्यय के लिये निर्गत किया जा रहा है।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपवांटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें।
3. आवंटित की गयी राशि की निकासी अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 31.12.2020 तक अवश्य भेज दी जाय ।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड़ का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि0(2) दिनांक– 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नही हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक– 31.12.2020 तक निश्चित रूप से कर दी जाय, अन्यथा विलंब के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 1239 /आ0 दिनांक 04.10.2020

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : डी0आइ0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर